Exclusion of Indian Products by US under GSP

1309. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the US General System of Preference (GSP) has excluded a number of product groups of interest to India like textiles, clothing, leather products, chemicals and pharmaceutical items and articles of jewellery which is causing serious concern to India;

(b) whether these items were excluded on the basis of unilateral trade actions which are not consistent with the sprit of multilateral trade regime; and

(c) if so, what action Government have taken in this regard for inclusion of these products under GSP?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) The US Generalised System of Preferences (GSP) is a unilateral scheme which provides for exclusion of items on 'Competitive Need Limits' and other grounds. Some product groups of interest to India like textiles, clothing, leather, products, chemicals and pharmaceutical items and articles of jewellery have been excluded from the US GSP scheme on 'Competitive Need Limits' and other grounds. Government has requested for 'De Minimis' waiver under the US GSP scheme for eligible products and also has been requesting the US Authorities bilaterally in various forums for inclusion of various product groups of interest to India under the US GSP Scheme.

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सांसद स्थानीय-क्षेत्र विकास निधि योजना

1310. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विभिन्न विकास कार्यों हेतु कुल कितनी धनराशि की अनुशंसाएं की गई थीं;

(ख) योजना-वार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक विकास कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) उन विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है जो पूर्ण हो चुके हैं तथा जिन्हें अभी आरंभ किया जाना है और इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

Suggestion for Panel on Trade and Tariff

1311. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report appearing in the 'Hindu' dated 8th November, 1995 under the caption 'Exporters suggest panel on Trade and Tariff' ;

(b) if so, the details of the proposal received and reaction of Government thereto; and

(c) what is the present status of the proposal/other suggestions received from experts regarding administrative policy changes suggested to boost up exports?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Federation of Indian Exports Organisations (FIEO) has recently submitted an Export Strategy Paper for achieving exports of US $ 100 billion by 2001. In the Strategy Paper, FIEO have suggested setting up of National Commission on Trade & Tariff (NCTT) to oversee, arbitrate and ensure coordination in the decisions of the Central Government and the State Governments among other measures. It may however be stated that export promotion is a continuous process and steps are taken to boost exports in

consultation with trade, industry and other concerned institutions including FIEO. All suggestions for export promotion including those by FIEO in the Export Strategy Paper are welcome. Exports have been made into a national priority and the Government is very keen to provide an export friendly environment to the exporting community backed by proper infrastructure.

गुजरात में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना

1312. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये राज्य में कुछ अतिरिक्त डिपुओं की स्थापना करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो उसका स्थान-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) और (ख) गुजरात में दो इनलैंड कन्टेनर डिपो (आई सी डी) एक साबरमती में तथा एक सूरत में कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त अहमदाबाद में अदालाज नामक स्थान पर एक कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी एफ एस) भी कार्य कर रहा है।

(ग) से (ङ) आई सी डी/सी एफ एस की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावों को एक ही स्थान पर क्लीयरेन्स प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय में एक अन्तःमंत्रालयी समिति कार्य कर रही है। ऊपर बताए गए कार्यरत आई सी डी/सी एफ एस के अतिरिक्त अन्तः मंत्रालयी समिति ने गुजरात में कांडला, सूरत, बड़ौदा, नासिक और पोरबन्दर में 5 अन्य कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

सुपर बाजार में अनियमितताओं की समीक्षा

1313. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुपर बाजार के कार्यकरण और उन अधिकारियों के कार्य की समीक्षा की है जिन्हें सुपर बाजार के बिक्री सहायकों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच का कार्य सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या अधिकतम अनियमितताएं सुपर बाजार के फर्नीचर, किराना और वस्त्र विभागों में पाई गई थीं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): (क) से (ङ) जी, हां। सुपर बाजार के समग्र कार्यकरण की मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

क्योंकि सुपर बाजार एक स्वायत्त सहकारी सोसाइटी है, अतः इसका अपना एक समीक्षा तथा नियंत्रण तंत्र है। वहां एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को भी महाप्रबंधक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाता है। सूचित की गई अनियमितताओं पर सुपर बाजार के प्रबंधन द्वारा उनके लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विचार किया जाता है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि क्योंकि उनके व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा किराने की वस्तुएं हैं, अतः किराना विभाग के बारे में अधिक शिकायतें मिलती हैं। सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि कपड़े तथा घरेलू सामान के विभागों द्वारा की गई आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में हाल में प्राप्त एक शिकायत की उनके सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है। घरेलू सामान विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को की गई आपूर्ति से संबंधित मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है।